

5.2.2019

आज यह पत्रावली प्रार्थिनी अपीलान्त श्रीमती परमेश्वरी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी ढाढण तहसील फतेहपुर शेखावटी हाल चक 21 बीएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर जरिये श्री राजेश बैद अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.1.2019 पर पेशी में ली गयी । प्रार्थिनी श्रीमती परमेश्वरी की ओर से अभिभाषक अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना व समाज के मौजिज व्यक्तियों की समजाइश से पक्षकरान में आपसी राजीनामा हो चुका है । प्रार्थिनी अपीलान्त उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को इसी स्टेज पर जरिये विद्वा खारिज फरमाई जावे ।

हमने प्रार्थिनी अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय में यह अपील तहसीलदार (राजस्व)खाजूवाला के निर्णय दिनांक 24.1.14 जिसके द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया एवं गोदनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करन का आदेश दिया, के विरुद्ध प्रार्थिनी अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । प्रार्थिनी अपीलान्त उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहती है । अतः अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विद्गोल स्वीकार किया जाकर यह अपील अपीलान्त जरिये विद्गवल (Withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो तथा पत्रावली निर्णीत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश खुले सुनाया में सुनाया गया ।

संभागीय अधिकारी
बीकानेर